फर्द अहकाम
(नियम 28)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

सम्पतलाल बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 23 उप.   नम्बर....../2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.8.18	अभिभाषक अपीलांट श्री उमाशंकर उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्ध हो। विद्वान अभिभाषक अपीलांट को पत्रावली पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा तहसील कोलायत के समक्ष वर्ष 1983–84 में बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की राय से चक 8–9 बीजेएम के मुरब्बा नम्बर 24/30 के किला नम्बर 11, 12, 19, 21, 22 तादादी 5 बीघा अनकमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 24/22 के किला नम्बर 6, 14 ता 17, 23 ता 25 तादादी 8 बीघा कमाण्ड एवं मुरब्बा नम्बर 24/31 के किला नम्बर 1, 3, 8 ता 13 की 8 बीघा कमाण्ड एवं किला नम्बर 18 ता 22 की 5 बीघा अनकमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 24/23 के किला नम्बर 1 ता 7, 9 ता 16, 24, 25 की 23 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 49 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन दिनांक 21–02–2004 को किया गया था। उक्त आवंटन आज दिनांक तक अदालत मातहत द्वारा खारिज नहीं किया गया है। उन्होंनें आगे बताया कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि जोकि अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति की राय से आंवटित की गई थी, के आवंटन आदेश/पट्टा जारी करने हेतु समय समय पर लिखित एवं मौखिक रूप से निवेदन किया किया जाता रहा है। जबकि वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् आवंटन पट्टा जारी करने का दायित्व अदालत मातहत का था। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा ना तो अपीलांट के पक्ष में आवंटन पट्टा जारी किया गया वरन् इसके विपरीत अदालत मातहत द्वारा	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

वादगत् भूमि के अन्य व्यक्ति को आवंटन की कार्यवही की जा रही है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है।

दौराने अपील यदि वादगत् भूमि का अन्य किसी व्यक्ति को आवंटन किया गया तो अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा व प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियाँ बढ़ेगी। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादगत् भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जाकर अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकण में अदालत मातहत ने दिनांक 21-02-2004 को वादगत् भूमि चक 8-9 बीजेएम के मुरब्बा नम्बर 24/30 के किला नम्बर 11, 12, 19, 21, 22 तादादी 5 बीघा अनकमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 24/22 के किला नम्बर 6, 14 ता 17, 23 ता 25 तादादी 8 बीघा कमाण्ड एवं मुरब्बा नम्बर 24/31 के किला नम्बर 1, 3, 8 ता 13 की 8 बीघा कमाण्ड एवं किला नम्बर 18 ता 22 की 5 बीघा अनकमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 24/23 के किला नम्बर 1 ता 7, 9 ता 16, 24, 25 की 23 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 49 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन दिनांक 21-02-2004 को किया गया था।

प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् आवंटन पट्टा/आदेश जारी करने हेतु समय समय पर अदालत मातहत के समक्ष उपस्थिति होकर लिखित एवं मौखिक कथन किया जाता रहा है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के हक में आवंटन पट्टा जारी करने के स्थान पर वादगत् भूमि अन्य को आवंटित करने की कार्यवाही की जा रही है।

इस संबंध में हमने अदालत मातहत के आदेश व पत्रावली के साथ उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का

Scanned by CamScanner

संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में साबित है।

प्रकरण में चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि है। ऐसी स्थिति में हम यह निर्देश देना उचित पाते है कि अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष अपना लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। अदालत मातहत अपीलांट के अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। तब तक वादगत् भूमि चक 8–9 बीजेएम के मुरब्बा नम्बर 24/30 के किला नम्बर 11, 12, 19, 21, 22 तादादी 5 बीघा अनकमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 24/22 के किला नम्बर 6, 14 ता 17, 23 ता 25 तादादी 8 बीघा कमाण्ड एवं मुरब्बा नम्बर 24/31 के किला नम्बर 1, 3, 8 ता 13 की 8 बीघा कमाण्ड एवं किला नम्बर 18 ता 22 की 5 बीघा अनकमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 24/23 के किला नम्बर 1 ता 7, 9 ता 16, 24, 25 की 23 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 49 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे व अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner